भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का कार्यालय सीज़्न विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India Ministry of Commerce & Industry, Office of the Developement Commissioner, SEEPZ-Special Economic Zone, Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

## कार्यालय आदेश संख्या <u>247</u> /2024 OFFICE ORDER No. <u>247</u> /2024

यह देखा गया है कि अनुमोदन समिति की बैठक/अनुमोदन बोर्ड की बैठक के एजेंडे संबंधित सदस्यों को पहले से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।। इसके अलावा अनुमोदन समिति की बैठक/अनुमोदन बोर्ड की बैठक द्वारा दी गई मंजूरी पर कार्रवाई में समन्वय की कमी और देरी होती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए:-

- (1) श्री जनेश त्रिपाठी, एलडीसी द्वारा समर्थित अनुमोदन समिति की बैठक के सुचारू संचालन के लिए श्रीमती रेखा नायर, एडीसी समग्र प्रभारी होंगी। उन्हें संबंधित अनुभागों के एजेंडे के अनुपालन के लिए सभी एडीसी/विनिर्दिष्ट अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए। सुधारात्मक उपाय करने के लिए किसी भी अधिकारी की ओर से किसी भी देरी की तुरंत सूचना दी जाएगी।
- (2) श्री जी एस भंडारी, एडीसी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यवृत्त के आधार पर बीओए बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्रवाइयों सहित बीओए बैठक से संबंधित सभी मामलों के समग्र प्रभारी होंगे। श्री जगदीश प्रसाद गौड़, एलडीसी उनकी सहायता करेंगे।

It has been observed that the Agendas for Approval Committee Meeting/ Board of Approval Meeting are not submitted to the concerned Members in advance. Also there is lack of co-ordination and delay in action taken on the approvals granted by Approval Committee Meeting/ Board of Approval Meeting.

In view of the above,

- (1) Smt Rekha Nair, ADC shall be overall incharge for smooth conducting of the Approval Committee Meeting supported by Shri Janesh Tripathi, LDC. She should coordinate with all ADCs/Specified Officers for compliation of Agendas of respective Sections. Any delay on the part of any Officer to be reported immediately to take corrective measures.
- (2) Shri G.S. Bhandari, ADC shall be overall incharge of all matters pertaining to BOA meeting, including the Actions Taken in compliance of decisions taken in the BoA Meeting based on Minutes issued by Ministry. Shri Jagdish Prasad Gaur, LDC will assist him.

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया गया है। This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर/ Dr. Prasad Varwantkar) उप विकास आयुक्त/ Dy. Development Commissioner सीप्ज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

F.No. :SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-V/03900

दिनांक: 09.08.2024

प्रति/ To,

- 1. सभी अधिकारी और कर्मचारी (आउटसोर्स सहित)/All officers and staff members (including outsourced staff).
- 2. विआका/संविआका/उविआका/ विआ/ DCO/JDCO/DDCO/SO
- 3. सीमाशुल्क अनुभाग (प्रशासन)/Custom Section (Admin)
- 4. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर/Office Order file/register.
- 5. सूचना पट्ट/ Notice Board
- 6. सीप्ज-सेज वेबसाइट/ SEEPZ-SEZ Website